कार्यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारीः— मनसुख राम डामोर , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 24 / 2019 वाद

दायर दिनांक :— 05 / 03 / 2019

निर्णय दिनांक :— 16 / 02 / 2021

अनवान

1. गोपीलाल पिता भेरा जाति सुथार निवासी माण्डपिया खेड़ा तह0 रेलमगरा

वादी

बनाम

1. उदा पिता भेरा जाति सुथार निवासी माण्डपिया खेड़ा तह0 रेलमगरा
2. लहरू पिता भेरा जाति सुथार निवासी माण्डपिया खेड़ा तह0 रेलमगरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188, 88 रा0का0अ0 का प्रस्तुत किया कि ग्राम माण्डपिया खेड़ा तहसील रेलमगरा में आराजी संख्या 4685 कुल किता—01 कुल रकबा 03—03 बीघा एंव आराजी संख्या 4681, 4682, 4683, 4684 कुल किता 04 रकबा 02—18 बीघा एवं ग्राम कानाखेड़ा तहसील रेलमगरा में आराजी संख्या 1813 कुल किता 01 रकबा 05—10 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भुमियां स्थित हैं। भेरा की मृत्यु सन् 1973 में हुई उस समय वादी गर्भस्थ था यानि पिता मृत्यु के बाद वादी का जन्म हुआ। भेरा की पत्नि हांसी बाई जीवित होकर मौजूद है पिता की मृत्यु के पश्चात् भूमियों का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 नाबालगान बविलायात हांसी उर्फ हंसली बाई हुआ। उसके पश्चात् बालिग हो जाने के पश्चात जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम अंकित चली आ रही है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 शामिल शरीक रहते आये और संयुक्त कब्जा चला आने से संयुक्त स्वामित्व वादी का भी चला आ रहा है। चुंकि ये भूमिया मौरूषि होकर बाप दादा से चली आ रही है। हिन्दु विधि से गर्भस्थ शिशु का स्वामित्व एवं आधिपत्य होता है। खाता संख्या 199 आराजी संख्या 4685 रकबा 03—03 बिस्वा में वादी का 1/3 हिस्सा होकर मौके पर बंटी हुई है और अभिलेख में वादी का नाम अंकित नहीं हुआ है। खाता संख्या 204 में 1/3 हिस्सा भेरा का था जो वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के संयुक्त होकर प्रत्येक का 1/9 हिस्सा है जिसमें वादी का नाम अंकित नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के बीच मधुर संबंध चले आने से वादी को अपना नाम अंकित कराये जाने की आवश्यकता महसुस नहीं हुई अब जब तीनों भाई अलग हो गये पटवारी हल्का

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

से जानकारी करने पर वादी का नाम अभिलेख में अंकित नहीं होने की जानकारी हुई, जिससे वादी का स्वत्व घोषित कराया जाकर राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित कराये जाने की आवश्यकता हुई अन्यथा वादी को अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ेगा उसे अपार अपूर्णनीय क्षति होगी। भूमियॉ प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम होने से वे खुर्द बुर्द कर सकते है। जिससे उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना भी आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादीगण को उसका स्वत्व उसके नाम करवाने का निवेदन किया तो वे बराबर हॉ–हॉ कर समय व्यथित कर रहे है, जिससे वाद लाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी होने से उसे पक्षकार बनाया गया जबकि उनसे कोई सहायता अपेक्षित नहीं की गई। वाद कारण वादी को उसका नाम अभिलेख में नहीं होने की जानकारी दिनांक 24.05.2018 को नकले प्राप्त करने पर हुई जब–जब प्रतिवादीगण को कहा गया और उन द्वारा हॉ–हॉ टालम टोली करने तथा दिनांक 31.01.2019 को अंतिम बार कहने पर बमुकाम माण्डपिया खेड़ा उत्पन्न होकर जो चालू है। स्वत्व घोषणा के लिये अवधि निर्धारित नहीं है। जानकारी होने से वाद अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्व स्वत्व घोषणा की डिक्री पारित कराई जावें की खाता संख्या 199 की आराजी सं. 4685 में वादी का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित कराया जावें। इसी प्रकार खाता संख्या 204 की आराजीयात में वादी का 1/9 हिस्सा घोषित कराया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकित कराया जावें तथा कानाखेड़ा के खाता संख्या 58 की आराजी संख्या 1813 में वादी का 1/9 हिस्सा घोषित कराया जाकर राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित कराया जावें। प्रतिवादीगण 01 व 02 के नाम भूमियॉ होने से उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रचलित कराई जावें कि वे स्वयं उनके परिवारजन आदि कोई वादी के स्वत्व में हस्तक्षेप नहीं करे और न वे भूमियों का हस्तान्तरण ही करे तथा ऐसे कृत्य अन्य से भी ना करवावे। कार्यवाही वाद यदि प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 भूमियां खुर्द बुर्द करदे हस्तान्तरण कर दे और वादी को बेदखल करदे तो आदेशात्मक आज्ञप्ति द्वारा पूर्ववत् स्थिति कायम कराई जावें। वाद व्यय वकील महन्ताना तावान वगैरह प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्व कोई सहायता नही चाही गयी है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.–01 गोपीलाल एवं पी.डब्ल्यू.–02 मांगीलाल के शपथ एवं दस्तावेजी साक्ष्य नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 01 व 02 तथा वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03 व 04 व 05 प्रस्तुत की गयी।

वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि वादी की मौरूसी सम्पत्ति है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में प्रत्येक उत्तराधिकारी को समान हक अधिकार निहीत कर रखा है तथा वादी के पिता की मृत्यु

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के समय वादी गर्भ में होने से अपने हक अधिकार से वंचित रहा है। ऐसी स्थिति में वादी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना वादपत्र सिद्व करने में सफल रहा है जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद बाबत् घोषणा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डपिया खेड़ा तहसील रेलमगरा में आराजी संख्या 4685 कुल किता–01 कुल रकबा 03–03 बीघा में वादी का 1/3 हिस्सा एंव आराजी संख्या 4681, 4682, 4683, 4684 कुल किता 04 रकबा 02–18 बीघा में वादी का 1/9 हिस्सा एवं ग्राम कानाखेड़ा में आराजी संख्या 1813 कुल किता 01 रकबा 05–10 बीघा में वादी का 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप प्रारम्भिक डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कार्यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पिठासीन अधिकारीः— मनसुख राम डामोर , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 24/2019 वाद
दायर दिनांक :— 05/03/2019
निर्णय दिनांक :— 16/02/2021

अनवान

1. गोपीलाल पिता भेरा जाति सुथार निवासी माण्डपिया खेड़ा तह0 रेलमगरा

वादी

बनाम

1. उदा पिता भेरा जाति सुथार निवासी माण्डपिया खेड़ा तह0 रेलमगरा
2. लहरू पिता भेरा जाति सुथार निवासी माण्डपिया खेड़ा तह0 रेलमगरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दावा :— वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादी की ओर से :— S.K. मेहता , अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से :— अनुपस्थित

में इस आशय मे दिनांक 16/02/2021 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् घोषणा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डपिया खेड़ा तहसील रेलमगरा में आराजी संख्या 4685 कुल किता—01 कुल रकबा 03—03 बीघा में वादी का 1/3 हिस्सा एंव आराजी संख्या 4681, 4682, 4683, 4684 कुल किता 04 रकबा 02—18 बीघा में वादी का 1/9 हिस्सा एवं ग्राम कानाखेड़ा में आराजी संख्या 1813 कुल किता 01 रकबा 05—10 बीघा में वादी का 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

आज दिनांक 16/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा